

९.०
१९६२

शिवमहती
११११
सुरेश महती

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, हुसैनाबाद (पलामू)।

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक तारीख से तक
जिला - पलामू

एल०सी० वाद सं० १५ सन २०१४

केश का प्रकार - एल०सी० वाद धारा १६ (३)

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में दिवसी तारीख सहित 3
26/8/14	आवेदक शिव महती वल्द स्व० चन्द्रदेव महती, ग्राम किसुनपुर, पो० बराही, थाना हुसैनाबाद, जिला पलामू के ओर से निबंधित बिक्रय पत्र संख्या-612/607, दिनांक 23.06.2014 के सुदेश मेहतो वल्द स्व० दशरथ महती के खरीदगी के विरुद्ध एल०सी० एक्ट की धारा १६ (३) के अन्तर्गत एल०सी० वाद दायर किया गया है। एल०सी० आवेदन के साथ बिक्रय पत्र संख्या-612/607, दिनांक 23.06.2014 की सच्ची प्रतिलिपि एवं बिक्रय मूल्य राशि 2,00,000/- (दो लाख) रुपये एवं बिक्रय मूल्य राशि का १० प्रतिशत मो० 20,000/- (बीस हजार) रुपये जिला कोषागार, पलामू में जमा राशि का चलान दाखिल किया गया है। आवेदक के एल०सी० आवेदन एवं बिक्रय पत्र की सच्ची प्रतिलिपि का अवलोकन किया, एल०सी० आवेदन को सुनवाई हेतु अंगीकृत किया जाता है, प्रतिवादी को सूचना निर्गत करें। इस एल०सी० वाद के निष्पादन तक आवेदक का एल०सी० वाद के भूमि के उपर दखल कब्जा उदघोषित किया जाता है। अभिलेख दिनांक 22/9/14 को रखें।	27.12.17 07/03/18 25.04.18 31/8/14

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
हुसैनाबाद (पलामू)।

22/9/14

आदेश की
सं०

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर
गई कारवा

26.10.20

~~आमिषित उपलब्ध~~
~~निर्वाचित होने को अवकाश दिया~~
+ 27.11.20

2.2.20

27.11.20

~~आमिषित उपलब्ध~~
आविष्कृत अनुपलब्ध / फीटपली की ओर
से सुरक्षा के लिए उपलब्ध / वर
हु 18/12/20 को रखे

27/11/20

18.12.20

~~आमिषित उपलब्ध~~
आविष्कृत अनुपलब्ध / फीटपली की
ओर से अवकाश न मिले / वर
हु 30/12/20 को रखे

18/12/20

30.12.20

~~आमिषित उपलब्ध~~
आविष्कृत अनुपलब्ध / फीटपली की
ओर से मिले / वर
नियमित वर दायित्व को आदेश

30/12/20

न्यायालय - भूमि सुधार उप समाहर्ता, हुसैनाबाद (पलामू)

Schedule XIV Form No- 562

शिव मेहता ----- आवेदक
बनाम
सुरेश मेहता वगैरे प्रतिवादी

See Rule 129 OF THE RECORD MANUAL, 1941

एल० सी० वाद संख्या - 15/2014

Order With Signature of The Court

Office Action
take with Date

3

Date of order of
Proceeding

1

30-12-2020

2

आदेश

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं आवेदन तथा आवेदन के साथ संलग्न किया गया विक्रय पत्र का सच्ची प्रति का अवलोकन किया। यह एल० सी० वाद विक्रय पत्र संख्या 612/607 निबंधन की तिथि 23-06-2014 के क्रेता सुरेश मेहता के खरीदगी के विरुद्ध एल० सी० अधिनियम की धारा 16 (3) के अंतर्गत दायर किया गया है। एल० सी० वाद से संबंधित भूमि का विवरण :- ग्राम - किशुनपुर, थाना नंबर - 384, थाना- हुसैनाबाद, जिला - पलामू, खाता संख्या-8, प्लॉट संख्या- 98, रकबा - 25 डेसिमिल। इस भूमि का विस्तृत विवरण आवेदन के Schedule -I में अंकित है।

आवेदक का कहना है कि बिक्रेता राम प्रवेश मेहता द्वारा क्रेता सुरेश मेहता को बिक्री की गयी भूमि के आवेदक सह-हिस्सेदार और चौहद्दी रैयत है। लेकिन बिक्रेता राम प्रवेश मेहता ने आवेदक को भूमि नहीं बेचा और सुरेश मेहता को यह भूमि बेच दिया जो ना तो इस भूमि के सह हिस्सेदार हैं और ना ही चौहद्दी रैयत हैं। अतः आवेदक ने प्रतिवादी सुरेश मेहता के खरीदगी के विरुद्ध एल० सी० अधिनियम की धारा 16(3) के अंतर्गत वाद दायर किया है।

प्रतिवादी क्रमांक 1 सुरेश मेहता का कहना है कि उन्होंने प्रश्नगत भूमि को कुल 4 टुकड़ों में निबंधित विक्रय पत्र संख्या 607 दिनांक 23-06-2014 द्वारा रामप्रवेश मेहता से उचित जरसमन देकर खरीद किया है और खरीदने के बाद से शांतिपूर्वक दखल कब्जा एवं स्वामित्व में चले आ रहे हैं। सुरेश मेहता खरीद की भूमि के चौहद्दी रहे हैं क्योंकि इनके पिता ने निबंधित विक्रय पत्र संख्या 582 दिनांक 14-07-1956 को खाता नंबर 8 प्लॉट नंबर 98 में भूमि खरीद किया है, इसलिए इस प्लॉट के खरीदार एवं चौहद्दी रैयत हैं। इसलिए बिक्री पत्र में प्रश्नगत भूमि के चौहद्दी में निज क्रेता दर्ज है। विपक्षी संख्या एक और विपक्षी संख्या 2 आपस में चचेरे भाई हैं एवं सह हिस्सेदार हैं। इसलिए रामप्रवेश मेहता की भूमि को प्रथम क्रय करने का अधिकार विपक्षी संख्या 1 को है। आवेदक विक्रय पत्र संख्या 607 के अंतर्गत वर्णित भूमि के साथ हिस्सेदार नहीं है। आवेदक को अग्र क्रय का अधिकार तब ही प्राप्त हो सकता है जब यह बिक्री की गई सभी प्लॉटों के सह हिस्सेदार हो या सभी प्लॉटों के चौहद्दी रैयत हो या चौहद्दी में आते हो। लेकिन प्रस्तुत वाद में ऐसा नहीं है। आवेदक सह हिस्सेदार नहीं है, इसलिए आवेदक का आवेदन खारिज करने योग्य है।

प्रतिवादी के द्वारा लिखित बहस दाखिल किया गया है परन्तु आवेदक ने लिखित बहस दाखिल नहीं किया है। प्रतिवादी ने वंशावली के माध्यम से दर्शाया है कि वो बिक्रेता के चचेरे भाई होने के कारण प्रश्नगत भूमि के सह हिस्सेदार हैं। साथ ही प्रतिवादी के पिता ने निबंधित विक्रय पत्र संख्या 582 दिनांक 14-07-1956 को खाता नंबर 8 प्लॉट नंबर 98 में भूमि खरीद किया है, इसलिए इस प्लॉट के चौहद्दी रैयत हैं। साथ ही प्रश्नगत भूमि के बिक्री पत्र में प्रश्नगत भूमि के चौहद्दी में निज क्रेता दर्ज है।

इसप्रकार प्रतिवादी भी प्रश्नगत भूमि के सह हिस्सेदार और चौहद्दी रैयत हैं। अतः आवेदन को अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्ता
हुसैनाबाद (पलामू)।

भूमि सुधार उप समाहर्ता
हुसैनाबाद (पलामू)।